न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
107/2020	04.11.2020	28/5/2025

जमना उर्फ जगन्या पुत्र मुरली, माली निवासी हिगोंटिया, तह0 गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम

1. मनोरी पुत्र पांच्या, माली निवासी पंचमुखी हनुमानजी के पास, गंगापुर
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

श्री हुकमसिंह गुर्जर, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी को भूमि साबिक ख0न0 386/1 रकबा 3 बीघा मे से एक बीघा भूमि दिनांक 6.5.1983 को आवंटित की गई थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 642 दिनांक 3.11.1983 को वादी के पक्ष मे खोला गया एवं वादी की गैरखातेदारी दर्ज कर दी गई। ख0न0 386 मे कोई सडक नही रही है बल्कि सडक ख0न0 389 मे रही है। वादी को आवंटित भूमि साबिक ख0न0 386/1 रकबा 1 बीघा का हाल भूप्रबन्ध मे ख0न0 797 रकबा 0.08 है0 एवं ख0न0 798 रकबा 0.08 है0 कायम किया गया है जो साबिक रकबे के मुकाबले 0.09 है0 कम है। वादी का भूमि आवंटन की दिनांक से 1 बीघा भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। साबिक ख0न0 386 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम नही है किन्तु वहॉ मौके पर कोई सडक नही थी बल्कि ख0न0 [illegible] मे सडक रही है इस कारण ख0न0 386 मे से वादी रतनलाल व मो[illegible]ल के नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड अंकित रही है। वादी ने उसके नाम आवंटित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती हेतु राजस्व कर्मचारियों से कई बार निवेदन किया परन्तु दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

28.06.2020 को राजस्व कार्मचारियों ने कोर्ट आदेश लाने को कहा। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जावे कि वादी हाल खसरा नम्बर 797 रकबा 0.08 है. ख0न0 798 रकबा 0.08 है. व ख0न0 800 रकबा 0.13 है0 ग्राम हिगोटिया का काबिज खातेदार काश्तकार है एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि

उपरोक्त वर्णित भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे वादी को बाधा उत्पन्न नही करे एवं वादी को भूमि से बेदखल नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नही किया गया है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 403, प्रमाणित प्रतिलिपि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 03.01. 1983, प्रमाणित छायाप्रति आदेश दिनांक 03.01.1983 बाबत भूमि ख0न0 386/1 रकबा 1 बीघा गैर मुमकिन सडक की किस्म परिवर्तित करने मिसल नम्बर 02/1983, प्रमाणित छायाप्रति आदेश दिनांक 08.12.1980 मिसल नम्बर 02/1983, प्रमाणित प्रतिलिपि रिपोर्ट नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी दिनांक 08.12.1980 मिसल नम्बर 02/1983, नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध, नकल नामान्तकरण संख्या 642 दिनांक 08.01.1983 प्रस्तुत किये है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। जो दिनांक 17.08.2023 [illegible] तसदीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उभयपक्षकारान ने राजीनामे के अनुसार वादपत्र डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत राजीनामा एवं राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक 17.08.2023 को प्रस्तुत राजीनामे मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अंकित किया है कि ख0न0 797, 798, 800 ग्राम हिगोटिया मे मुझ प्रतिवादी मनौरी का आज के बाद कोई तालुल्क वास्ता नही रहेगा। उक्त भूमि वादी जगना की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि है जिसे वादी द्वारा अपने नाम करवाने मे मुझे कोई आपत्ति नही है।

वादी भूमि ख0न0 797 रकबा 0.08 है0, ख0न0 798 रकबा 0.08 है0 एवं ख0न0 800 रकबा 0.13 है0 ग्राम हिगोटिया की खातेदारी चाहता है। भूमि ख0न0 797 एवं 798 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है एवं ख0न0 800 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। इस प्रकार यह तीनों ही नम्बर सरकार की खातेदारी मे दर्ज हैं, इन नम्बरों पर कब्जे के सम्बन्ध मे वादी ने कोई दस्तोवज प्रस्तुत नही किया है तथा कब्जे के अभाव मे वादी का दावा चलने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा प्रमाणित नही होने के कारण दावा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/1/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:26 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (प्र.) गंगापुर सिटी (राज.)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

जमना उर्फ जगन्या पुत्र मुरली, माली निवासी हिगोंटिया, तह0 गंगापुर सिटी
——वादी

बनाम

1. मनोरी पुत्र पांच्या, माली निवासी पंचमुखी हनुमानजी के पास, गंगापुर
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —107/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री हुकमसिंह गुर्जर, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा प्रमाणित नही होने के कारण दावा खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28-5-2025 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:26 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)